

62

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

कर्मक लता देवी

बनाम

गोपाल दास नगर

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
03-09-17	<p>अभिलेख सं०-एम...127/2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी बुण्डू के अप्राथमिकी सं०-32/17 दिनांक-22/7/17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि पु० अयालक राँची के कार्यालय का जापांक 773/नवसोवाडाशाखा दिनांक 10/6/17 में जमीन के बतवारी को लेकर उभय पक्ष में विवाद है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 25-09-17 को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संश्लेषित</p> <p>कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> <p>कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p>	
25-09-17	<p>अभिलेख उपस्थापित 1 प्रथम पक्ष उपस्थापित द्वितीय पक्ष के मांक 02 उपस्थापित के मांक 01 उपस्थापित दिनांक 16-10-17 को 22वें।</p> <p>कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p>	

(6)

पृष्ठ सं०-

तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
29-06-18	अथ पत्र की ओर से धारणी दी गई। प्रथम पत्र वाद में समय सीमा बढ़ाने हेतु अवैतन समाप्त किया। पीछासीन पदाधिकारी आतकाश पटा दिनांक 09-07-18 की शर्त।	
09-07-18	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पत्र उपस्थित दिनांक 02 उपस्थित क्रमांक 01 उपस्थित। उक्त वाद में 6 (छः) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है अतः वाद में अभिलेख की कारवाई बन्द की जाती है।	4 9/7/18 कार्यपालक पदाधिकारी मुण्डू (रांचा)